(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक 1098–एक/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.02.07 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 207/94–95/निगरानी।

---

1. गनपत सिंह
2. सिरदार सिंह
   पुत्रगण सिरनाम सिंह निवासी ग्राम सिजारपुर
   तहसील पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल
2. गुलाब सिंह पुत्र श्रीलाल
3. हरिवल्लभ पुत्र श्रीलाल
4. जगदीश पुत्र श्रीलाल
5. श्यामशंकर पुत्र शिवचरण
6. चन्द्रकांत पुत्र शिवचरण
   समस्त निवासी ग्राम डांगपीपरी तहसील
   पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा

अनावेदकगण – एक पक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 21/11/17 .....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 207/94–95/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.02.2007 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार पिछोर द्वारा प्रकरण कमांक 22 / 91–92 / अ–46 में पारित आदेश दिनांक 31.03.1992 के द्वारा ग्राम हिनोतिया की विवादित भूमि संहिता की धारा 190 / 110 के तहत भूमि स्वामी घोषित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकों द्वारा अपर कलेक्टर शिवपुरी के न्यायालय में निगरानी पेश की गई, जिसमें उन्होंने दिनांक 29.05.1995 को आदेश पारित करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की, जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 190 / 110 के तहत आदेश पारित किया है। उक्त आदेश अपीलीय आदेश है। अपर कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि मामला दो व्यक्तिगत पक्षकारों के मध्य था तब अपीलीय आदेश के विरुद्ध स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह आधार भी लिया गया था कि कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण अवधि वाह्य था। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 2011 आर0एन0 298, 1972 आर0एन0 476 एवं 1971 आर0एन0 7 का हवाला दिया गया है।

4. अनावेदकगण प्रकरण में एक पक्षीय हैं।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर के न्यायालय में जो कार्यवाही हुई है वह अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी के आधार पर प्रारंभ की गई है। अतः आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क कि अपर कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेकर आदेश पारित किया है, अभिलेख पर आधारित नहीं है। अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया

है कि तहसील न्यायालय द्वारा संपूर्ण कार्यवाही पटवारी प्रतिवेदन एवं आवेदक की साक्ष्य के आधार पर की गई है। अनावेदकों को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न ही प्रकरण में विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन किया गया है। विद्वान अपर आयुक्त ने न्यायदृष्टांत 1991 आर0एन0 114 एवं 1978 आर0एन0 12 (उच्च न्यायालय) का हवाला अपने आदेश में दिया गया है। इन न्यायदृष्टांतों में यह अभिधारित किया गया है कि मौरुसी कृषक की प्रास्थिति अवधारित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है, सिविल न्यायालय को है। उक्त आधार पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त करते हुए अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है, जो अपने स्थान पर उचित न्यायिक और विधि सम्मत है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर